Bundesamt
für Migration
und Flüchtlinge

इनटिग्रेशन कोर्स के बारे में सूचना पत्र

जर्मनी में नये आये हुये प्रवासियो के लिए, जिन्हें जर्मन भाषा के कोर्स में भाग लेने का हक है और जिनका इस कोर्स में जाना कानूनी कर्तव्य है तथा जर्मनी में लम्बे अवधि से रहते हुए प्रवासीयो के लिए इनटिग्रेशन कोर्स के दौरान जर्मन भाषा सिखने के कोर्सों के बारे में जानाकरी

आदरणीय नागरीको,

निवास कानून के अनुसार आपको इस कोर्स में एक बार भाग लेने का हक है, या इसमें भाग लेने का आपका कर्तव्य है.

इनटिग्रेशन कोर्स क्या होता है

सामन्य इनटिग्रेशन कोर्स में 600 स्कूली घंटों का एक जर्मन भाषा सिखने का कोर्स होता है और 100 अध्याय घंटों का एक जर्मन लोकाचार के बारे में जानकारी पाने का कोर्स होता है. भाषा- कोर्स को 100 अध्याय घंटों के अंशों में बांटा गया है. पहले 300 अध्याय घंटों को आरंभिक-कोर्स कहा जाता है और अगले 300 अध्याय घंटों को एडवान्स कोर्स कहा जाता है

भाषा के कोर्स में आप जर्मन शब्दावली सिखेंगे जिसकी आपको दिन-प्रतिदिन जर्मन बोलने या लिखने में आवश्यकता होगी. इसमें सरकारी कार्यालयों से ताल-मेल, पड़ोसीयों और सहक्रमचारीयों से बात-चीत तथा पत्र लिखना और फ़ार्म भरना आदि सिखाया जाता है.

लोकाचार कोर्स में आपको जर्मन सामाजिक जीवन के बारे में सूचना दी जाती है और यहां के कानूनों तथा नियमों के बारे में और इस देश की संस्कृति और देश के नये इतिहास के बारे में सूचना दी जाती है.

महिलाओं, मां-बाप और किशोरावस्था तथा अनपड लोगों के लिए अलग-अलग विशेष कोर्स बनाये गये हैं. इन कोर्सो की अवधि 1000 घंटे है. अगर आप शीघ्र सीख सकते हैं तो आपको इनटेनसिव कोर्स में जाना चाहिए. इसकी अवधि केवल 430 घंटे है.

कौन सा कोर्स आपके लिए सही होगा और कोर्स के किस अंश में आरम्भ किया जाये, इस बात की जांच आपका टेस्ट लेने के बाद सिद्ध की जा सकती है.

KNr. 630.036k Hindi BAMF 11/2017

परिक्षा में हिस्सा लेना

परिक्षा को दो अंशों में बांटा गया है. पहले अंश में आपको जर्मन भाषा में परिक्षा देनी होगी और एक लोकाचार विशय में. अगर आप जर्मन कोर्स में अच्छे नंबर से पास होते हैं और लोकाचार विषय में भी पास हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने इनटिग्रेशन कोर्स को पास कर लिया और आपको इस का प्रमाण-पत्र (सर्टिफ़िकेट इनटिग्रेशन कोर्स) दिया जायेगा.

अगर आपने परिक्षा पास नहीं की तो आपको केवल उस कोर्स में हिस्सा लेने का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा.

परिक्षा देना निशुल्क है.

इनटिग्रेशन कोर्स में भाग लेने के लाभ

प्रवासी जो यूरोपीय संघ के देशों के अलावा अन्य दोशों के नागरीक है, उन्हें कुछ शर्ते पूरी करनी होती है अगर वह स्थायी निवास की अनुमति चाहते है. इन शर्तो में एक शर्त है कि जर्मन भाषा की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए और जर्मनी में सामाजिक जीवन, कानूनों, नियमों आदि के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए. इनटिग्रेशन कोर्स में पास होने के पश्चात यह शर्ते शर्त पूरी हो जाती है. इसके अलावा आप समय से पहले जर्मनी की नागरिकता पा सकते हैं.

इस के अतिरिक्त इनटिग्रेशन कोर्स में पायी गयी जर्मन भाषा की जानकारी से जर्मन में जीवन आसान हो जाता है और नौकरी मिलने के अवसर बढ़ जाते हैं.

इनटिग्रेशन कोर्स में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन

अगर आपको कोर्स में भाग लेने की अनुमति मिलती है तो आपको इस बारे में प्रवासी दफ्तर (Ausländerbehörde) या रोजगार कार्यालय से (Arbeitslosengeld II) से लिखित सूचना भेजी जायेगी (बिरेशटिगूंग शाइन). साथ में ही आपको कोर्स देने वाली संस्थाओं की सूचि भेजी जायेगी जो आपके आस-पड़ोस में कोर्स करते है.

कृपया आप आप को एकीकरण पाठ्यक्रम के लिए दी गई संस्था में रजिस्टर कराएँ और अपने साथ वहाँ योग्यता के प्रमाणपत्र ले जा कर दिखाएँ . अगर आप को अभी तक कोई कोर्स करने की सथान नहीँ दी गई है , तो आप आपनी पसंद की किसी भी कोरस करवाले वाली संस्था मेँ जा कर तुरंत संपरक कर सकते हैँ । अगर योग्यता प्रमाणपत्र में, “प्रतिभाग लेने की योग्यता या आवश्यकता...तक मान्य है” के अंतर्गत तिथि को निर्दिष्ट किया गया है, तो आपको इस तिथि से पहले कोर्स देने वाली संस्थाओं में या आप को दी गई संस्था में रजिस्टर कराना होगा.

आप के कोरस करने को यकीनी बनाने के लिए बुनडस अमट भी आप को किसी कोर्स करवाने वाली संसथा में खूद से भेज सकती है ।

कोर्स करने वाली संस्था से आपको कोर्स आरम्भ होने के बारे में सूचना मिलेगी. कोर्स की रजिस्ट्रेशन करने के छः सप्ताह के अंदर कोर्स आरम्भ हो जाना चाहिए. अगर इस अवधि तक कोई कोर्स आरम्भ नही होता तो से अगर

आप ने कोई कोरस शूरू ना किया , तो आप को कोरस देने वाली संसथा को बताना हो गा । अगर आप की कोरस देने वाली संसथा बदल जाए तो आप को आप की पूरानी कोरस देने वाली संसथा आपको बिरेशटिगूंग शाइन वापिस दे देगी.

कृपया यह बात धयान मैं रखैं , कि यह कोर्स में भागदारी खतम कर दी जाए गी , अगर आप इपनी किसी वजह से जिआदा से जिआदा एक साल के गुजर जाने तक अपनी रजिसटरेशन नहीँ करवाते , यह एकीकरण पाठ्यक्रम शूरू नहीँ करते या इस कोरस में भागदारी को एक साल से अधिक समय के लिए छोड देते हैं ।

कोर्स में बकाया सहभागिता

इंटीग्रेशन कोर्स का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको बकाया फॉर्म में कोर्स में भाग लेना चाहिए। इसका अर्थ कक्षा में निरंतर रूप से अपस्थित होना और अंतिम परीक्षा में भाग लेना है। कोर्स में बकाया सहभागिता आपके लिए तब भी महत्वपूर्ण है अगर आप यात्रा भत्ता प्राप्त करना चाहते हैं या बाद की तिथि में भाषा कोर्स के अध्याय घंटो को दोहराना चाहते हैं. आपके कोर्स प्रदाता आपके अनुरोध पर आपको आपकी भागीदारी का लिखित पुष्टिकरण प्रदान करेंगे.

सामान्य रूप से, केवल कोर्स का एक अनुभाग पूर्ण करने के बाद ही कोर्स प्रदाता बदलना संभव है. इस कोरस को सिरफ खास कारण होने पर बदला जा ससकता है , कास तौर पर अगर आप का घर बदला गया हो , एक पारट टाईम या फुल टाईम के कोरस को तब ही बदल सकते हैं , अगर आप को बचचों की देखभाल करना होती है या आप कोई परोफएशनल कोरस कर रहे हैं , या इस कोरस को खतम कर लेने के बाद आप कोई काम कर सकते हैं ।

इनटिग्रेशन कोर्स की फ़ीस

भाग लेने के लिए आपको 1.95 यूरो प्रति स्कूली घंटे की फ़ीस कोर्स की संख्या को भरनी होगी. यह रकम हर 100 घंटों के अंश के लिए भरनी होगी और लोकाचार के कोर्स के आरम्भ में देनी होगी. अगर आप कोर्स में सतेत हिस्सा नही लेते तो आपको उन घंटों की फ़ीस वापिस नहीं दी जा सकती जिनमें आप उपस्थित नहीं थे. अगर आपकी अपनी कोई आमदनी नहीं है तो वह फ़ीस उस व्यक्ति को भरनी होगी जिसके पास आप के जीवन-निर्वाह की जिम्मेदारी होगी.

संघीय कार्यालय (Bundesamt) की तरफ़ से आपको फ़ीस की मुक्ति मिल सकती है अगर आपकी आमदनी बहुत कम है. फ़ीस से मुक्ति पाने के लिए आपको संघीय कार्यालय (Bundesamt) के स्थायी दफ्तर में लिख कर आवेदन पत्र भेजना होगा (पत्ते की सूचि देखें).

कृपया अपनी वित्तीय आवश्यकता के सत्यापन का विवरण दें (बेरोज़गार प्रतिपूर्ति घ्घ् की अधिसूचना, समाजिक लाभ, घर लाभ, छात्र ऋण [इ-उ, बाल भत्ता, शरणार्थियों के लाभ के अधिनियम पर आधारित लाभ, शिशु सदन से शुल्क माफी, रेडियो और टेलीविजन लाइसेंस शुल्क (ऊ) से माफी, स्थानीय सामाजिक टिकिट आदि जैसे प्रासंगिक प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि). अगर संभव हो तो कृपया कोर्स शुरु करने से पहले अपना आवेदन पत्र जमा कर दें.

वह भाग लेने वाले जिन्हें रोजगार कार्य से खर्चा (Arbeitslosengeld II) मिलता है या सोशल के पैसे (Sozialhilfe) मिलते है या जिनकी आमदनी बहुत कम हैस उन्हें इस फ़ीस से मुक्ति मिल सकती है. फ़ीस से मुक्ति पाने के लिए आपको संघीय कार्यालय के स्थानीय दफ्तर में लिख कर आवेदन भेजना होगा (पत्ते की सूचि देखें). कृपया आपनी वित्तीय आवश्यकता के सत्यापन का विवरण दें (बेरोज़गार प्रतिपूर्ति घ्घ् की अधिसूचना, समाजिक लाभ, घर लाभ,बचचौं के लिए पैसे , शरन के कानून के अनोसार दी जाना वाली रकम, छात्र ऋण [इ-उ, बाल भत्ता, शरणार्थियों के लाभ के अधिनियम पर आधारित लाभ, शिशु सदन से शुल्क माफी, रेडियो और टेलीविजन लाइसेंस शुल्क (ऊँ) से माफी, स्थानीय सामाजिक टिकिट आदि जैसे प्रासंगिक प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि). अगर संभव हो तो कृपया कोर्स शुरि करने से पहले अपना आवेदन पत्र जमा कर दें. अगर आप ने यह दरखासत अपने कोर्स के बीच में दी है , तो हो सकता है , कि आप को इस फीस से मुकती ना दी जाए ।

<u>बच्चौं की देखभाल</u>

अगर आप को इस एकीकरण पाठ्यक्रम में जाने के लिए बच्चों की देखभाल करना पडती है, तो आप कृपया करके कोर्स देने वाली संस्था से संपर्क किजिए . यह आप को मौजूदा संभावनाऔं के बारे में जानकारी दैं गे .

<u>शुल्क में योगदान की वापसी</u>

अगर आपने 8 दिसंबर, 2007 के बाद की अंतिम परीक्षा सफलतापूर्वक दी है, तो प्रवसन और शरणार्थियों का संघीय कार्यालय, आपको पहले से प्रदत्त शुल्क के योगदान के 50% की वापसी कर सकता है. हालांकि, यह केवल तब लागू होता है अगर कोर्स में पहिली बार उपस्थित होने की योग्यता के पुष्टिकरण के प्रकाशन और अंतिम परीक्षा की पूर्णता के बीच दो वर्ष से अधिक न बीते हों. वापसी के लिए आपको प्रवसन और शरणार्थियों के संघीय कार्यालय के कार्यक्षम क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन करना होगा.

<u>यात्रा व्यय</u>

अगर प्रवसन और शरणार्थियों के संघीय कार्यालय ने आपको शुल्क में योगदान के भुगतान में छूट दे दी है, तो आपको सामान्य रूप से यात्रा व्यय के लिए एक भत्ता प्राप्त होता है. यह सब्सिडी आप को सम्मिलित के रूप से एक दिन कोर्स में जाने के के हिसाब से मिले गी, इस के लिए शरत यह है , कि आप के कोर्स की स्थान आप की निवास स्थल से कम से कम ३ किलो सीटर की दूरी पर हो । यह यात्रा के लिए दी जाना वाली सम्मिलित लेने के लिए आप को अपने क्षेत्रीय स्तेल्ले के बुन्डस अमट के दफतर में दरखासत देना हो गी तब ही यह आप को दी जा सकता है.

<u>अनुसरण भाषा कोर्स को दोहराना</u>

अगर आप भाषा परीक्षा में जर्मन के बारे में पर्याप्त ज्ञान का प्रदर्शन करने में असमर्थ थे, तो आप एक-बार में 300 अध्याय घंटों तक दोहरा सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपको नियमित रूप से अध्यायों के लिए उपस्थित होने की भी आवश्यकता होती है.

अगर आप साक्षरता कोर्स ले रहे हैं, तो भाषा परीक्षा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है.

अध्याय घंटों को दोहराने के लिए संघीय कार्यालय के कार्यक्षम क्षेत्रीय कार्यालय में एक आवेदन पत्र जमा कराना होगा.

<u>जिनका कोर्स में जाना कानूनी कर्तव्य है उनके लिए कुछ सूचना</u>

अगर आपको प्रवासी दफ्तर (Ausländerbehörde) या रोजगार कार्यालय (Arbeitslosengeld II) से कोर्स में भाग लेने के लिए कहा गया है तो आपको जल्दी से जल्दी कोर्स करने वाली किसी संख्या के पास रजिस्ट्रेशन करवानी होगी और निम्नानुसार कोर्स में भाग लेना होगा.

अगर आप यह नही करते तो इस से आपको मुश्किल हो सकती है:

जर्मनी में रहने के वीजा की अवधि बढ़ाने में असर हो सकता है.

अगर आपको अगर आप यह नही करते तो इस से आपको मुश्कल हो सकती है:

- जर्मनी में रहने के वीजा की अवधि बढ़ाने में बुरा असर हो सकता है.
- अगर आपको सोशल दफ्तर से खर्चा मिलता है तो उसे कम का जा सकता है.
- यह भी हो सकता है कि प्रवासी दफ्तर आपको आदेश दे कि आपको कोर्स के हर घंटे की आपकी फ़ीस, जो 1.95 यूरो है, वह इकट्ठी एक रकम में देनी होगी.
- आपको पैसों की सजा हो सकती है.

अगर आप नियमानुसार कोर्स में हिस्सा नहीं लेते तो कोर्स की संस्था का यह फ़र्ज है कि वह इस बारे में प्रवासी दफ्तर (Ausländerbehörde) या रोजगार कार्यालय (Arbeitslosengeld II) को सूचना भेजे.

<u>अन्य चीजें जो आपको पता होनी चाहिए</u>

- इस निर्देश पत्रक में उल्लिखित सभी आवेदन फ़ॉर्म कोर्स प्रदाता के पास, आपके स्थानीय अप्रवास कार्यालय और संघाय कार्यालय के कार्यक्षम क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध हैं. आप इंटरनेट साइट www.bamf.de पर भी फ़ॉर्म प्राप्त कर सकते हैं.

निर्देश पत्रक में इंटीग्रेशन कोर्स में आपकी सहभागिता के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है. आपका कोर्स प्रदाता अतिरिक्त विवरण पर आपको जानकारी प्रदान करेगा.

कृपया शरणार्थी परामर्श कार्यालयों और युवा अप्रवास सेवा द्वारा प्रस्तावों पर भी ध्यान दें. ये कार्यालय आवेदनों में आपकी सहायता करेंगे. आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे और आपकी समस्याओं को संबंधित करेंगे और वे आपके लिए उपयुक्त इंटीग्रेशन कोर्स ढूंढ सकते हैं. आप अपने स्थानीय अप्रवास कार्यालय, प्रवसन और शरणार्थियों के

संघीय कार्यालय के कार्यक्षम क्षेत्रीय कार्यालय या इंटरनेट पर www.bamf.de से पता सकते हैं कि आपके पड़ोस में अप्रवास परामर्श कार्यालय और युवा अप्रवास सेवाएं कहां हैं.

कृपया ध्यान दें कि जब आप इंटीग्रेशन कोर्स में उपस्थित होते हैं तो आप वैधानिक दुर्घटना बीमा के अधीन नहीं होंगे.